

न्यायालय-राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-24.01.2025

मैं राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) दंडिक कार्य रिमांड के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **माह फरवरी-2025** में घोषित सार्वजनिक अवकाश अवधि में जिला मुख्यालय कबीरधाम एवं बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. में अत्यावश्यक/रिमांड कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार आदेशित करती हूँ :-

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित करने का दिनांक
1.	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम	15.02.2025, 23.02.2025, 26.02.2025
2.	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	02.02.2025, 08.02.2025, 09.02.2025, 16.02.2025

टीप:- माह फरवरी-2025 में प्रथम दो सप्ताह में घोषित शासकीय अवकाश में बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. के रिमाण्ड कार्य का निष्पादन पंडरिया में पदस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा एवं शेष अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य का निष्पादन ज्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

दिनांक-24.01.2025

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

प्रतिलिपी:-

1. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम।
2. श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम।
3. कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया, जिला-कबीरधाम।
4. कु. पूजा मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला कबीरधाम।
5. कु. वर्षा गुर्दे, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश कवर्धा, जिला कबीरधाम।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम छ.ग.।
7. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, कबीरधाम छ.ग. को जिला न्यायालय के वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ कबीरधाम एवं पंडरिया, जिला-कबीरधाम। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश्वरी सूर्यवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम (छ.ग.)